

आवश्यक होगा। पीस निर्वाह समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का मुवीकरण किया जाता है, तो सत्र को (2020 प्राथमिक शिक्षा समिति) तथा उप समितियाँ, सत्रावधि को सम्बद्ध किया जायेगा।

सत्र में सत्रावधि प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के लिए यह जाने की दिशा में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

सत्र को एडमिशन/रजिस्ट्रेशन/फीस/पीएचडी/आई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाये आवश्यक होगा।

सत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/निर्देश/अभिव्यक्ति/साक्ष्य/निर्देशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षण आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये करे होगी।

किसी इन फार्मसी प्रावधानों की संस्थाएं यदि पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और निष्पत्ति रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद वापर किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में भी सहायता द्वारा किसी स्तर की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

किसी इन फार्मसी प्रावधानों सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को सत्रावधि प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षण आदेशों के लिए अप्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा हेतु भावनात्मिक प्रारण होने की पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त का अधिक कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा नये प्रवेश की (कार्यालयों के माध्यम से) जथा संस्था स्तर पर सीटों प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

सत्र को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्थाप, सत्र-सत्रावधि, उच्चतर प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।

सत्र को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त मातापिता उपलब्ध करने के साथ सत्रावधि के सम्बन्ध में समस्त जानकारी उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।

सत्र यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संस्थागत मातृकाक्रम को प्रस्तावित करने हेतु निर्वाह समिति को सब उपलब्ध कराये गये अनिलेख, भूमि-भवन, कारीगर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य मातृकाक्रम में संस्थान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तमता संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।

सम्बद्ध सत्रों का अनुमोदन न किये जाने जथा सत्रों का उत्तमता किये जाने की दिशा में निम्नानुसार अनुमोदन/कार्यवाही की जायेगी।

(20 जनवरी 2020)
सचिव

सद दिनांक 15-09-2020

सत्र- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

निर्देशक-प्रधानाचार्य/निदेशक, सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी 7-मिठी माईल स्टेशन बरौली रोड एन.एच-24
इलीनगला, शहराजपुर।

(20 जनवरी 2020)
सचिव

बतौर,

राज्य प्रविष्टि विभाग परीक्षा

(प्रति प्रवेश परीक्षा)

संख्या- अर्थव्यवस्था संख्या 2021/3537

खण्ड- द्वितीय- 2021

परिशिष्ट- 3

संलग्न तालिका क्रमांक 2021-22, में प्रवेश के लिए परीक्षा में प्रवेश करने के लिए, उम्मीदवारों को 2021-22 में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्राप्त करना होगा। उम्मीदवारों को 2021-22 में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्राप्त करना होगा।

उम्मीदवारों को 2021-22 में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्राप्त करना होगा।

पता का कोड 89 नाम : 2097-SUN INSTITUTE OF PHARMACY 7TH KM INLE STONE BAREILLY ROAD NH-24,HAZI NAGLA,SHAHJAHANPUR-242001

कक्षा	माध्यम का नाम	संख्या
DIPLOMA IN PHARMACY	1	60

संख्या 2/3

- ✓ प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्राप्त करना होगा।
- ✓ संलग्न तालिका क्रमांक 2021-22 में प्रवेश के लिए परीक्षा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्राप्त करना होगा।
- ✓ संलग्न तालिका क्रमांक 2021-22 में प्रवेश के लिए परीक्षा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्राप्त करना होगा।
- ✓ संलग्न तालिका क्रमांक 2021-22 में प्रवेश के लिए परीक्षा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्राप्त करना होगा।

